न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 17/2023

श्री मेवाराम उर्फ मेवा पुत्र स्व0 श्री हीरा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर

बनाम .....प्रार्थी

1. श्री रामलाल गुर्जर पुत्र स्व0 श्री हीरा गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर
2. श्रीमति फूमा पुत्री स्व0 श्री हीरा गुर्जर पत्नि श्री शिवपाल, हाल निवासी ग्राम बलवन्ता, तहसील नसीराबाद, अजमेर
3. श्री शान्तिलाल उर्फ सन्जू पुत्र स्व0 श्री गोविन्द पौत्र श्री हीरा, जाति गुर्जर
4. श्रीमति विश्रामी उर्फ विश्राम देवी पत्नि स्व0 श्री गोविन्द गुर्जर पुत्र वधु श्री हीरा
5. श्री राहुल उर्फ नानू पुत्र स्व0 श्री गोविन्द गुर्जर पौत्र श्री हीरा
6. सोनिया उर्फ सोनू
7. माया उर्फ अमीषा
8. सुनिता

   पुत्रियां स्व0 श्री गोविन्द गुर्जर पौत्री श्री हीरा
9. श्रीमति चंता पत्नि स्व0 श्री राजा राम पुत्र वधु श्री गोविन्द पौत्र वधु श्री हीरा
10. श्री नितेश पुत्र स्व0 श्री राजा राम पौत्र श्री गोविन्द प्रपौत्र श्री हीरा
11. प्रतिक्षा पुत्री श्री राजा राम पौत्री श्री गोविन्द प्रपौत्री श्री हीरा
12. श्री नारायण पुत्र श्री गोकुल, पौत्र श्री नाथू, जाति गुर्जर

    समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर
13. श्रीमति श्रवणी पुत्री श्री नाथू, पत्नि श्री सूरजकरण, निवासी ग्राम भूडोल, तहसील व जिला अजमेर
14. मन्जू चौधरी पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, जाति जाट, निवासी 381, प्रगतिनगर, कोटड़ा, अजमेर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर
16. उप पंजीयक, अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1– श्री राजेन्द्रसिंह रावत, वकील प्रार्थी की ओर से।

2– श्री अमरसिंह राठौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 3 से 12 व 14 की ओर से।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सत्यमेव जयते अजमेर

आदेश

दिनांक – 15.01.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.02.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 श्री हीरा के वारिसान हैं। श्री हीरा की मृत्यु उपरान्त उसके एक पुत्री व श्री

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

रामलाल, श्री मेवा, श्री गोविन्द व श्री नारायण चार पुत्र थे। श्री हीरा के जीवनकाल में ही श्री नाथू ने श्री गोकुल को व श्री गोकुल ने श्री नारायण को गोद लिया। इस प्रकार श्री नाथू के एक पुत्री श्रवणी देवी व श्री नारायण वारिस हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित सजरा अनुसार ग्राम घूघरा, तहसील अजमेर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 833 रकबा 0.1600 है0, खसरा खसरा संख्या 835 रकबा 0.1000 है0, खसरा संख्या 966 रकबा 0.1000 है0, खसरा संख्या 1228/4023 रकबा 0.0900 है0 खसरा संख्या 1236 रकबा 0.2900 है0 कुल रकबा 0.7400 है0 एवं खसरा संख्या 1246 रकबा 0.1700 है0 स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी के पिता श्री हीरा के तीन पुत्र व एक पुत्री 1/2 हिस्से में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है एवं श्री नाथू का दत्तक पुत्र गोकुल व पुत्री श्रवणी थी व श्री गोकुल का दत्तक पुत्र श्री नारायण जिसका 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के संयुक्त खातेदारी काश्तकारी में चली आ रही है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन नहीं हुआ। प्रार्थी अपने पिता से प्राप्त विरासत की उक्त कृषि आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन करवाकर अपना अलग–अलग हिस्सा कृषि आराजी में 1/2 का 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थीगण प्रार्थी का उनके हिस्से की भूमि से महरूम करने के इरादे से खेत जोतने, बोने, गुड़ाई करने, फसल काटने तथा लाटने व लगान जमा कराते समय अर्थात प्रत्येक समय लड़ाई झगड़ा करने लग गये, जिस कारण अब संयुक्त काश्त किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी ने अपने पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत में प्राप्त संयुक्त काश्तकारी आराजियात के विभाजन हेतु व प्रार्थी को अलग से खातेदार घोषित करवाने के लिये निवेदन किया किन्तु उन्होने मना करते हुए आराजी का अन्यत्र बेचान करने की धमकी दी एवं अप्रार्थी संख्या 12 ने अप्रार्थी संख्या 14 को आराजियात में से बिना विभाजन बेचान करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया, जिसका हक अधिकार नहीं था। प्रार्थी ने विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 22.02.2023 को प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र नियत की गई। वरवक्त बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 से 12 व 14 उपस्थित हुए। उनकी बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 श्री हीरा के वारिसान हैं तथा आराजियात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के संयुक्त खातेदारी काश्तकारी में चली आ रही है एवं तथा आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन नहीं हुआ। इसका गलत फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण प्रकरण में लिप्त भूमि का बेचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है। अन्यथा वे विवादित भूमि का बेचान कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी कमीपूर्ति संभव नहीं है।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 से 12 व 14 का कथन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 श्री हीरा के वारिसान होने के कथन गलत हैं एवं हीरा पुत्र बलदेव का पारिवारिक सजरा गलत अंकित किया गया है। वादी/प्रार्थी ने जान बूझकर सम्पूर्ण वास्तविक तथ्य छिपाकर बंटवारे का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है एवं आराजी पर प्रारम्भ से आज तक कभी भी कब्जा व उपयोग उपभोग आदि भी नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.07.1995 को बंटवारे बाबत एक इकरारनामा स्वयं के दोनों भाईयों रामलाल व गोविन्द के पक्ष में निष्पादित करते हुए अंकित किया था

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

अजमेर

कि हमारी सामुहिक कृषि भूमि जो कि आयुर्वेदिक भवन के पास विक्रय की है। जिसके बंटवारे में 33000/– हजार रूपये मैंने मेरे दोनों भाईयों के हिस्से में से अधिक प्राप्त कर लिये हैं। हमारी पैतृक भूमि जो कि तीन बीघा के लगभग है जिनको खेजड़ी वाले खसरा संख्या 833, डोली के पास वाले खसरा संख्या 1236 व खान्देडा वाले खेतों के खसरा संख्या 1228/4023 खेतों के नाम से जाना जाता है। इन तीनों खेतों का हिस्सा मैंने मेरे दोनों भाईयों रामलाल व गोविन्द को संभला दिया है। इस सम्बन्ध में मैं जब भी मेरे दोनों भाई उक्त तीनों खेतों को विक्रय करेंगे या स्वयं या अपने इच्छित व्यक्तियों के नाम बेनामा या इकरारनामें करेंगे उसमें बिना किसी राशि के बेनामा या इकरारनामा पर हस्ताक्षर कर देंगे। इस प्रकार प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में से स्वयं का हिस्सा भी उक्त बंटवारे बाबत निष्पादित इकरारनामें के द्वारा प्राप्त कर चुका है। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बंटवारे का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 से 12 रिकॉर्डेड खातेदार हैं। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध विधि अनुसार किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है जबकि वह स्वयं का हिस्सा पूर्व में ही उक्त बंटवारे बाबत किये गये इकरारनामा द्वारा प्राप्त कर चुका है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1228/4023 व खसरा संख्या 966 में स्वयं के अविभाजित हिस्से के सम्बन्ध में एक मुख्तयारनामा आम दिनांक 19.12.2019 को श्री लक्ष्मण गुर्जर पुत्र स्व0 श्री नन्दा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम घूघरा के नाम निष्पादित कर दिया। उक्त मुख्तयारनामा के आधार पर श्री लक्ष्मण गुर्जर ने उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1228/4023 व खसरा संख्या 966 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2020 (पंजीयन दिनांक 04.09.2020) द्वारा क्रेता SHASHWAT BUILDCON PVT. LTD. रजि0 ऑफिस पी–09 पार्श्वनाथ कॉलोनी, मानसिंह होटल के सामने, वैशाली नगर अजमेर को बेचान कर दी है। इस प्रकार प्रार्थी स्वयं की हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर चुका है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों के बीच काफी वर्षों पूर्व विभाजन हो चुका है। उसी के अनुसार समस्त अप्रार्थीगण मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर कब्जा काश्त नहीं है, जबकि अप्रार्थी संख्या 3 से 12 का वादग्रस्त आराजी पर प्रारम्भ से आज तक कब्जा एवं उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। वकील अप्रार्थी संख्या 3 से 12 व 14 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1236 रकबा 0.2900 है0 का 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2022 (पंजीयन दिनांक 14.07.2022) द्वारा क्रय की गई है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1372 दिनांक 02.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 14 के पक्ष में तस्दीक किया जा चुका है। आराजी पर अप्रार्थी संख्या 14 का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग खरीद दिनांक से निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 14 ने बहुमूल्य प्रतिफल अदाकर आराजी क्रय की है एवं काफी धनराशि खर्च कर भूमि को विकसित किया है तथा पक्की चारदीवारी का निर्माण भी करवाया है। राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072–75 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में अप्रार्थी संख्या 14 को प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 1236 के 1/2 हिस्से के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार दर्शाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 14 वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड काविज खातेदार काश्तकार है एवं सद्भाविक क्रेता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 14 के पक्ष में निष्पादित उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को अवैध एवं शून्य घोषित करवाने के विधि विरूद्ध कथन अंकित किये हैं जबकि उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित करवाये जाने का कोई विधिक क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रय को निरस्त करवाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में विधिवत वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये किन्तु इनके द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष विक्रय

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

पत्र को चुनौती नहीं दी जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि इस न्यायालय को पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने का विधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वकील अप्रार्थी संख्या 3 से 12 व 14 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व कथनों का समर्थन करते हुए प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 13 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 श्री हीरा पुत्र श्री बलदेव के वारिसान होने के कथन को सही बताया है। जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार माहराम के दो पुत्र बलदेव व नाथू जिनमें से बलदेव के दो पुत्र हीरा व गोकुल हुए। गोकुल नाथू के गोद चला गया व हीरा का एक पुत्र नारायण गोकुल दत्तक पुत्र नाथू के गोद चला गया। जिससे नाथू पुत्र माहराम की 1/2 हिस्से की आराजियात पर नारायण दत्तक पुत्र गोकुल (गोकुल दत्तक पुत्र नाथू) एवं श्रीमति श्रवणी पुत्री नाथू काबिज हुए तथा हीरा पुत्र बलदेव (बलदेव पुत्र माहराम) के 1/2 हिस्से की आराजियात पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 काबिज हुए। इसी अनुसार वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में काश्तकारी स्वत्व निहित हुए। सजरा अनुसार वादग्रस्त आराजियात में श्रवणी पुत्री नाथू 1/4, नारायण दत्तक पुत्र गोकुल 1/4 एवं रामलाल, मेवाराम, गोविन्द तथा फूमा प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 जो गोविन्द के वारिसान है का सम्मिलित रूप से 1/8 हिस्सा निहित है, जबकि क्रेता अप्रार्थिया संख्या 14 को विक्रेता के हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय हुआ है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की पुश्तैनी भूमि है जिसमें हीरा पुत्र बलदेव के वारिसान का 1/2 हिस्सा व नाथू पुत्र माहराम के वारिसान का 1/2 हिस्सा निहित है। वर्तमान अधिकार अभिलेख में नारायण पुत्र गोकुल के नाम 1/4 हिस्सा सही दर्ज है लेकिन नारायण पुत्र नाथू के 1/2 हिस्सा गलत दर्ज है क्योंकि नारायण पुत्र नाथू का माहराम के परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि 1/4 हिस्सा श्रवणी पुत्री नाथू का निहित है। हीरा पुत्र बलदेव के वारिसान के नाम कम भूमि दर्ज होकर समस्त हिस्से गलत अंकित किये गये हैं। अतः हिस्सों के अनुसार दुरूस्ती की जाकर अधिकार अभिलेख में सभी सहदायकों के हिस्से दर्ज कर रिकॉर्ड व मौके पर न्यायिक विभाजन किया जावे जिसमें अप्रार्थीगण की पूर्ण सहमति है। अतः वादग्रस्त आराजियात को सुरक्षित/संरक्षित बनाये रखने हेतु पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 12 व 14 द्वारा प्रस्तुत बहस एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 13 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों अर्थात तीनों घटकों का अध्ययन करने के उपरान्त उनके परिपेक्ष्य में निर्णय निम्नानुसार है:–

1. प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :– प्रार्थी ने अपने दोनों भाईयों रामलाल व गोविन्द के पक्ष में दिनांक 20.07.1995 को बंटवारे बाबत एक इकरारनामा निष्पादित किया एवं विक्रित सामुहिक कृषि भूमि के बंटवारे में 33000/– हजार रूपये अधिक प्राप्त किये। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से स्वयं का हिस्सा भी उक्त बंटवारे बाबत निष्पादित इकरारनामें के द्वारा प्राप्त करते हुए पैतृक भूमि खसरा संख्या 833, 1236 व 1228/4023 का हिस्सा दोनों भाईयों रामलाल व गोविन्द को संभला दिया। केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1228/4023 व खसरा संख्या 966 में स्वयं के अविभाजित हिस्से के सम्बन्ध में एक मुख्तयारनामा आम दिनांक 19.12.2019 को श्री लक्ष्मण गुर्जर पुत्र स्व0 श्री नन्दा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम घूघरा

सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

के नाम निष्पादित किया एवं मुख्तयारनामा के आधार पर श्री लक्ष्मण गुर्जर ने उक्त आराजियात को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2020 द्वारा क्रेता SHASHWAT BUILDCON PVT. LTD. रजि0 ऑफिस पी–09 पार्श्वनाथ कॉलोनी, मानसिंह होटल के सामने, वैशाली नगर अजमेर को बेचान कर दी है। इस प्रकार प्रार्थी स्वयं की हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर चुका है एवं प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर कब्जा काश्त नहीं है। साथ ही वादग्रस्त आराजियात के खसरा संख्या 1236 रकबा 0.2900 है0 का 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2022 द्वारा क्रय की गई एवं आराजी का नामान्तरकरण संख्या 1372 दिनांक 02.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 14 के पक्ष में तस्दीक हो चुका है। आराजी पर अप्रार्थी संख्या 14 का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग खरीद दिनांक से निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण सिद्ध नहीं कर पाये हैं एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन :– प्रकरण में लिप्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अन्य खातेदारों द्वारा क्रय की गई है एवं क्रय दिनांक से ही क्रेतागण का निरन्तर व लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। इस प्रकार वे सद्भाविक क्रेता होकर आराजी के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

3. अपूर्णीय क्षति :– यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को कारित होगी चूंकि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु भी अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के पक्ष में सिद्ध है।

प्रार्थी तीनों ही बिन्दुओं पर अपना प्रकरण सिद्ध करने में असफल रहे परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधिसम्मत नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सत्यमेव जयते अजमेर